न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 34 / 2018 (2018 / 00084)

सायरी पत्नि सोहनलाल जाति भील निवारी देवगॉव तहसील केकड़ी जिला अजमेर

------प्रार्थीगण

बनाम

1.जगदीश पुत्र सावला जाति भील
2.गजानंद पुत्र छोगा जाति बैरवा
3.श्रीराम पुत्र छोगा जाति बैरवा
4.आशाराम पुत्र छोगा जाति बैरवा
5.सीता पुत्री छोगा जाति बैरवा
6.बन्नालाल पुत्र जुवारा जाति बैरवा
7.नारायण पुत्र जुवारा जाति बैरवा
8.गोपी पुत्र जुवारा जाति बैरवार
9.सायरा पत्नि गंगाराम जाति बैरवा
10.प्रहलाद पुत्र सुखा जाति बैरवा
तमाम निवासीगण ग्राम देवगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर
11.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान) **–अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128,129 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– श्री लतीफ मोहम्मद ––वकील प्रार्थीयां
तहसीलदार केकड़ी (पैरोकार सरकार)– अप्रार्थी संख्या 11

आदेश

दिनांक 17.09..2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम देवगॉव की निम्नवर्णित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2073–76. मे स्थित है:–

खेवट खतौनी संख्या नया–पुराना	ख.नं.	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म
1071–840	1061	1.60	बारानी 1

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीयां की खातेदारी की आराजीयात है व प्रार्थीयां ही आराजीयात को काश्त कर पैदावार प्राप्त करते चली आ रही है। प्रार्थीयां की उक्त आराजीयात से अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नही है परन्तु वे अकारण ही प्रार्थीयां से रंजिश रखते है, तथा प्रार्थीगण की हक, हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को हड़पने की बदमंशा रखते है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीयां की उक्त आराजीयात के सीमाचिन्ह को नष्ट कर आराजीयात के हिस्से पर कब्जा करने पर उतारू हो रहे है। सीमाचिन्हों को मौके पर नष्ट कर दिया है। जिससे उक्त आराजीयात का स्थायी सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी से करवाया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थीयॉ के कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी नहीं करवाई गई तो प्रार्थीयॉ को अपूरणीय क्षति होगी तथा मोके पर लड़ाई झगड़ा एवं अशान्ति होगी। त[illegible] से मुकदमेबाजी बढ़ेगी। [illegible] विवाद [illegible]किया । दिनांक 13.03.2018 को प्रार्थीयॉ ने अप्रार्थीगण संख्या 10 को सीमाज्ञान हे[illegible] रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का कार[illegible] न्यायालय की श्रवणाधिकार होने से पेश आराजीयात न्यायालय के क्षेत्राधिकार [illegible] है अतः प्रार्थना पत्र स्वीक[illegible] पत्र उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया [illegible] जाकर प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी की स्थाई पत्थरग[illegible] किये जाने के आदेश प्रदा[illegible] प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 17:02:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तहसीलदार केकड़ी–पेरोकार सरकार द्वारा न्यायालय की आदेशिका पर यह कथन अंकित किया कि पत्थरगढ़ी किये जाने से राजहित प्रभावित नहीं है। अप्रार्थीगण कोई उपस्थित नही है अतः उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की जाकर जवाब बंद किया गया। पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त होने पर पक्षकारान की बहस अंतिम सुनी गई।

प्रार्थीयों के लायक अभिभाषक ने अपनी बहस जारी रखते हुए प्रार्थना पत्र मे अंकित कथनो को दोहराया तथा आराजी प्रश्नगत की पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार केकडी को आदेश जारी करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार–तहसीलदार केकडी ने आदेशिका पर राजहित प्रभावित नहीं होना अंकित करते हुए कथन किया है कि प्रार्थीयों अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है तो श्रीमान् के द्वारा आदेश प्रसारित किये जाने पर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर दी जावेगी। राजहित प्रभावित नहीं है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर गौर किया। तहसीलदार केकड़ी पैरोकार सरकार ने कथन किया कि ग्राम देवगॉव की जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या नया–पुराना 1071–840 खसरा नंबर 1061 रकबा 1.60 हैक्ट0 बारानी 1 प्रार्थीयॉ ने पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है ,जो उचित है। अतः प्रार्थीयॉ का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128,129 राज0 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीयॉ पत्थरगढी शुल्क नियमानुसार राज्य सरकार मे जमा करावे। तहसीलदार केकड़ी को आदेश दिए जाते है कि प्राथीयॉ द्वारा नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करवाने पर प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी,प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी के पड़ौसी खातेदारों की मौजूदगी मे, दक्ष कार्मिकों की टीम गठित कर करवायी जावे,खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 17:02:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner